(12)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्ष : मनोज गोयल,

## अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1058–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 87/अपील/2015–16 ।

.....

1–भगवतसिंह पिता गंगाधरजी
2–पर्वतसिंह पिता गंगाधरजी
3–गंगाधर पिता रतिरामजी
समस्त निवासीगण ग्राम मोरटा मलोथर तहसील गुलाना जिला शाजापुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–शंकरलाल पिता बापुलालजी आंजना
निवासी ग्राम बटवारी तहसील शुजालपुर
2–पटवारी ग्राम मोरटा मलोथर तहसील गुलाना
जिला शाजापुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0सी0मूणत, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एन0एस0सिसौदिया, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 6/9/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश दिनांक 5–5–1983 के विरूद्ध अनुविभागीय

अधिकारी शाजापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–7–2015 को आदेश पारित कर अपील अमान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–3–2017 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–5–1983 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–15 निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक कमांक 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1983 के पूर्व से ही कृषि कार्य करते चले आ रहे है व आधिपत्यधारी होकर भूमिस्वामी है, इस कारण आवेदकगण को मौरूसी कृषक तथा भूमिस्वामी अधिकारी प्राप्त हो गये है । इस तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 250 का न्यायदृष्टा प्रस्तुत किया गया ।

(2) नामान्तरण इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 2–5–83 से प्रमाणित किया गया है उक्त नामान्तरण को 34 वर्ष पश्चात् सुनने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है ।

(3) आवेदक कमांक 1 व 2 के बडे दादा के आधिपत्य में जो दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को खोजने पर उसमें यही रखा हुआ वसीयतनामा दिनांक 14–4–80 का प्राप्त होने से आवेदकगणों ने माननीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत लिखतम प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण के निराकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज होकर स्वीकार योग्य है ।

(4) अधीनस्थ अपर आयुक्त ने अनावेदक कमांक 1 को रूगनाथसिंह का उत्तराधिकारी मानने में गंभीर त्रुटि करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में भूल की है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि यदि रूगनाथ की मृत्यु लावारिस स्थिति में हुई है तो उसके खाते की भूमि शासकीय घोषित होना चाहिये थी किन्तु इस पर विचार किये बिना विवादित आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई थी, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में विधि संगत कार्यवाही की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि आवेदक कमांक 1 व 2 का नामान्तरण बिना किसी आधार के जो कि वारिसों की श्रेणी में संहिता की धारा 164 एवं हिन्दू विधि के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी अनावेदक कमांक 1 की अपील निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई थी, इस ओर अपर आयुक्त द्वारा ध्यान दिया जाकर विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करने में विधिवत् कार्यवाही की गई हैं।

(3) विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि आवेदकगण ने वास्तविकता को छुपाते हुये कपटपूर्वक विवादित भूमि पर बिना किसी आधार पर भूमिस्वामी के रूप में अपना नाम चढवा लिया था जो रिकार्ड से स्पष्ट होता है, इसलिये उक्त आदेशों को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) नामान्तरण की कार्यवाही में संहिता की धारा 109, 110 के तहत बने नियमों को पालन नहीं हुआ था इसलिये अपर आयुक्त द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना किसी जॉच के एवं साक्ष्य के प्रमाणित किये बिना आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामान्तरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने मृतक भूमिस्वामी की पूर्व से मृत पुत्री के पुत्र होने का तथ्य छिपाकर नामान्तरण पंजी पर अपना नाम दर्ज कर लिया गया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनावेदक कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी की पूर्व से मृत पुत्री का पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारिस है और आवेदकगण द्वितीय श्रेणी के वारिस है। ऐसी स्थिति में पृथक श्रेणी के वारिस उपलब्ध होने पर वारिसाना आधार पर उन्हीं का नामान्तरण होगा । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णत अवैधनिक एवं अनियमित आदेश है । क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है अतः इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 34 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि अवधि बाह्य थी, क्योंकि पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होता है । जहॉ तक इस न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयतनामा का प्रश्न है उन्होंने निचले किसी भी न्यायालय में यह वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया और न ही वसीयत के आधार पर किसी भी स्टेज पर नामान्तरण मांगा है । अतः निगरानी की स्टेज पर वह नया आधार प्रस्तुत नहीं कर सकते है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर